फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2021-22

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

(धनराशि रू० लाख में)

अनुदान संख्या-43 (राजस्व)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग
1	2	3	4	5	6
(1) 3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00- 001-निदेशन तथा प्रशासन- 03-अधिष्ठान व्यय 01-वेतन 03-मॅहगाई भत्ता	 13284.00 3440.20	 250.00 600.00	 250.00 600.00	 250.00 600.00	 13034.00 2840.20
योग-	**16724.20**	**850.00**	**850.00**	**850.00**	**15874.20**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

(धनराशि रू० लाख में)

अनुदान संख्या-43 (राजस्व)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग
7	8	9	10	11	12
(1) 3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00- 001-निदेशन तथा प्रशासन- 03-अधिष्ठान व्यय 08-कार्यालय व्यय 13-टेलीफोन पर व्यय	 600.00 350.00	 1200.00 600.00	 600.00 250.00	 600.00 250.00	 1200.00 600.00
योग -	**950.00**	**1800.00**	**850.00**	**850.00**	**1800.00**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) बचत के कारण निम्नानुसार है:-

क- मद संख्या 01-वेतन में बचत का मुख्य कारण:- कतिपय कार्मिकों को देय ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत संबंधी प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होने अथवा प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत की प्रक्रिया में होने के कारण।

ख- मद संख्या 03-मॅहगाई भत्ता में बचत का मुख्य कारण:- कोविड़-19 के संकट की स्थिति में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 24.04.2020 द्वारा कार्मिकों को दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 तथा 01.01.2021 से देय महॅगाई भत्ता की अतिरिक्त दरों (17 प्रतिशत) को फ्रीज रखते हुए शासनादेश दिनांक 24.08.2021 द्वारा मॅहगाई-भत्ते की बढ़ी हुयी दर (28 प्रतिशत) का भुगतान दिनांक 01.07.2021 से किये जाने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार है:-

क- मद संख्या 08-कार्यालय व्यय में व्यायाधिक्य के कारण:- इस मद से प्रदेश मुख्यालय सहित समस्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों पर विभिन्न कार्यो यथा-डाक टिकट, जनरेटर हेतु डीजल व्यय हेल्पलाइन पर व्यय तथा स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस के निर्गमन पर व्यय किया जाता है। उक्त कार्यो की देयताओं के निस्तारण हेतु कार्यालय के पत्र संख्या-जी-204ए/2020-130ए/2020 दिनांक 05.11.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु इस मद में रू० 2712.60 लाख का आय-व्ययक अनुमान शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र रू० 600.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है।

प्रदेश में जन सामान्य की सुविधा हेतु स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसैंस एकीकृत व्यवस्था लागू है, जिसका सम्पादन प्रदेश मुख्यालय से किया जाता है। मात्र स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेन्स के निर्गमन कार्य में डाक पर व्यय हेतु प्रतिवर्ष लगभग रू० 1000.00 लाख की आवश्यकता होती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस कार्य हेतु माह अगस्त 2021 तक का भुगतान कार्यदायी संस्था मेसर्स स्मार्ट चिप को मद संख्या 08-कार्यालय व्यय में पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त कार्य की माह जुलाई व अगस्त की देयता का निस्तारण वित्त विभाग के ग्रुपिंग संबंधी शासनादेश दिनांक 04.10.2018 के अनुक्रम में मद संख्या 11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई में संभावित बचत से वहन किया गया है। डी०एल०१ के डिस्पैच कार्य हेतु माह सितम्बर 2021 से फरवरी 2022 तक की न्यूनतम संभावित देयता रू० 500.00 लाख (रू० 83.00 लाख प्रतिमाह औसतन x 6 माह) विभागीय क्रिया-कलापों से संबंधित जनसामान्य की जिज्ञासाओं तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु विभागीय हेल्पलाइन सेवा के लिये सेवा प्रदाता बी०एस०एन०एल० को वार्षिक भुगतान हेतु रू० 80.00 लाख (रू० 6.50 लाख प्रतिमाह औसतन x 12 माह तथा इस मद के अन्य कार्यो (क्षेत्रीय कार्यालय हेतु डाक पर व्यय, जनरेटर के डीजल पर व्यय आदि) की देयता के निस्तारण हेतु रू० 20.00 लाख अर्थात कुल रू० 600.00 लाख की आवश्यकता के कारण।

ख- कार्यालय के पत्र संख्या जी-204ए/2020-130ए/2020, दिनांक 05.11.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु विभागीय बजट अनुमान तैयार किये जाने विषयक प्रेषित प्रस्ताव में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष 3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय की मद संख्या 13-टेलीफोन पर व्यय हेतु रू० 616.44 लाख की प्रस्तावित धनराशि के अनुरूप बजट प्राविधान न हो पाने तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के समस्त कार्यालयों (मुख्यालय व 77 क्षेत्रीय) में 4 एमबीपीएस इन्टरनेट लीज लाइन की सुविधा हेतु बी०एस०एन०एल० को वार्षिक चार्ज के रूप में लगभग रू० 572.00 लाख के भुगतान की आवश्यकता में से वित्तीय वर्ष 2021-22 में माह जुलाई 2021 से फरवरी 2022 तक लगभग रू० 250.00 लाख की आवश्यकता के कारण।

नोट- गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में भी अपर निदेशक, वित्त एवं संसाधन, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या आर०ई०-619/यू०ओ०-ई-9-274/दस-2021, दिनांक 23.03.2021 द्वारा उक्त लेखाशीर्ष की मद संख्या 08-कार्यालय व्यय में रू० 550.00 लाख तथा पत्र संख्या आर०ई०-639/इग्-9-यू०ओ०-ई-9-327/दस-2020, दिनांक 24.03.2021 द्वारा उक्त लेखाशीर्ष की मद संख्या 13-टेलीफोन पर व्यय में रू० 252.34 लाख को राजस्व पक्ष में उपलब्ध बचतों से

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोजित किये जाने के उपरान्त ही गत वित्तीय वर्ष में ऊपरलिखित मदों के कार्यों की देयताओं का निस्तारण किया जाना संभव हो सका।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या- 445/ई-9-यू0ओ0-ई-9-3577/दस-2021-22, दिनॉक 04 मार्च, 2022

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र० शासन।

संख्या-24/2022/588/तीस-3-2022, दिनॉक 16 मार्च,2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in